प्रेषक,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

सेवा में,

स्टेट कोआर्डिनेटर्स,
जैट्रोफा मिशन सेल,
5 वॉ तल, योजना भवन,
लखनऊ।

संख्या– 521 /डी0एल0आर0सी0–का0दे0/2006 दिनांक 14 दिसम्बर, 2006

विषयः ग्राम पंचायत कुम्भी, तहसील अकबरपुर की सहभागिता से जैट्रोफा विकास कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में आज सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें जो नन्दन बायोमैटिक्स प्रा0लि0, हैदराबाद को गांव सभा कुम्भी, तहसील अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात की भूमि उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

तत्क्रम में तहसीलदार अकबरपुर से आख्या प्राप्त की गई। उन्होने अपनी आख्या दिनांक 14–12–2006 के द्वारा अवगत कराया है कि गांव सभा कुम्भी तहसील अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा शासन की नीति के अनुरूप 15 वर्षो के लिए जैट्रोफा मिशन हेतु नन्दन बायोमैटिक्स प्रा0लि0, हैदराबाद को गाव सभा की गाटा सख्या–555, रकबा 2.000 हे0, 592 मि0, रकबा 23.000 हे0 व 706 मि0 रकबा 15.000 हे0 कुल रकबा 40.000 हे0 इस शर्त के साथ दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में भूमि पर पूर्ण स्वामित्व गांव सभा का ही रहेगा, तथा आय में 20 प्रतिशत गांव सभा का हिस्सा होगा।

अतः तहसीलदार अकबरपुर की उक्त आख्या मय गांव सभा के प्रस्ताव के मूल रूप से संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ओ0पी0एन0सिंह)
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

संख्या व दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, कालाकांकर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ0पी0एन0सिंह)
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।